दिल्ली विधान सभा सचिवालय समाचार भाग -2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) मंगलवार, 19 अप्रैल,2005/चैत्र 29, 1927(शक)

संख्या: 89

सदस्यों की नजरबंदी व रिहाई

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को सम्योधित, उपायुक्त पुलिस, जिला नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

"मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, डॉ. हर्ष वर्द्धन. श्री साहब सिंह चौहान एवं श्री रमेश विधुड़ी को, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के तहत दिनाँक 15.4.2005 को 12.30 बजे पुलिस थाना संसद मार्ग, में नजरवंद किया गया।

उन्हें, उसी जगह से उसी दिन 13.05 वजे रिहा कर दिया गया"।

सिद्धार्थ राव सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Tuesday, 19 April 2005/29 Chaitra 1927 (Saka)

No.89

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy. Commissioner of Police, New Delhi Distt.

"I have the honour to inform you that Shri Dr. Harshvardhan, Shri Sahab Singh Chauhan & Shri Ramesh Vidhuri Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 at P.S. Parliament Street at 1230 hrs on 15.4.05.

They were released at 1305 hrs on the same place and same date."

SIDDHARATH RAO SECRETARY